न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 101/2019

1. सुखविन्द्र सिंह पुत्र चडत सिंह जाति जटसिख निवासी 26 एच तहसील श्री करणपुर।

——प्रार्थी——

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

——अप्रार्थी——

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

——निर्णय—— **दिनांक : 06.12.2019**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 26 एच के मु. न. 61 में किला न. 11/2 में 0.101 हैक्टर, 20/2 में 0.101 हैक्टर, 21/2 में 0.102 हैक्टर कुल 0.304 हैक्टर बारानी भूमि जो कि राजस्व रिकॉर्ड में बारानी दर्ज है। परन्तु सीसीए रिकॉर्ड में उक्त रकबा नहरी दर्ज है। सीसीए रिकॉर्ड व पानी की पर्ची अनुसार उक्त रकबा पर मौका पर पानी लग रहा है। उक्त रकबा पर किसी अदालत का स्थगन आदेश नही है ना ही कब्जा बाबत कोई विवाद है। अतः उक्त रकबा बारानी से नहरी दर्ज किया जावे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ चक 26 एच की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 19 के मु.न. 61 व इसी चक के खाता संख्या 81/79 के मु.न. 61 व इसी चक के खाता संख्या 24/23 के मु.न. 61 की जमाबन्दी प्रस्तुत की एवं सीसीए स्टेटमेन्ट की प्रति, पर्ची बाराबन्दी (पानी की पर्ची), जल उपयोक्ता संगम दलपतसिंहपुर का जारी किया गया प्रमाण पत्र एवं प्रति पेश की।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्री करणपुर से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्री करणपुर के क्रमांकः टीआरए/ 656 दिनांक 05.12.2019 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 26 एच के मु.न. 61 के किला न. 11/2, 21/2 का पुराना मु. न. 55 था जिसका प्रमाण भू-प्रबन्ध विभाग की मिसल बन्दोबस्त का मिलान क्षेत्रफल रिपोर्ट है। उपर्युक्त रकबा सैटलमेन्ट से पूर्व नहरी दर्ज था। जिसका प्रमाण मिसल हकीयत संवत 1990 खाता संख्या 10 तथा बन्दोबस्त से पूर्व की जमाबन्दी 2017 ता 20 खाता संख्या 12 है। जिसमें उक्त रकबा नहरी दर्ज है। परन्तु बन्दोबस्त विभाग द्वारा उक्त रकबा नहरी की जगह बारानी दर्ज कर दिया गया जो कि भू प्रबन्ध खतौनी जमाबंदी संवत 2027 ता 2036 में है। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन उत्तर खण्ड श्री गंगानगर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार मु.न. 55 में 15 बीघा 12 बिस्वा कमाण्ड है। अध्यक्ष जल उपयोक्ता संगम दलपतसिंहपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त रकबा मु.न. 55 के किला न. 11/2 में 0.101 हैक्टर, 20/2 में 0.101 हैक्टर, 21/2 में 0.102 हैक्टर रकबा की पानी की बारी मौके पर लगी हुई है। तथा उक्त रकबा मौके पर नहरी है। जमाबन्दी संवत 1990 के अनुसार मु.न. 55 के किला न. 11(पूरा), 20(पूरा), 21(17 बिस्वा) रूपा सिंह के नाम दर्ज था। इससे स्पष्ट है कि उक्त रकबा राजस्थान उपनिवेदशन (गंगनहर क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1956 के तहत आवंटन नहीं है। अतः राज्य सरकार के राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के आदेश क्रमांक प.7 (7) उप- / 2005/ जयपुर दिनांक 25.08.2007 के अनुसार मौरूसी खातेदार से अंतरराशि वसूल योग्य नहीं है। इसलिए इस प्रकरण में राजस्व विभाग की अनकमाण्ड से कमाण्ड हुए रकबे की अंतरराशि जमा होने से शेष नहीं है अतः इस रकबे को राजस्व रिकॉर्ड में नहरी दर्ज किया जाना उचित है। तहसीलदार श्री करणपुर की रिपोर्ट के साथ सलग्न पटवारी हलका 26 एच की रिपोर्ट के अनुसार के मु.न. 61 पुराना 55 में 15 बीघा 12 बिस्वा रकबा कमाण्ड है। अध्यक्ष जल उपयोक्ता संगम दलपतसिंहपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त रकबा मु.न. 61 पुराना 55 के किला न. 11/2 में 0.101 हैक्टर, 20/2 में 0.101 हैक्टर, 21/2 में 0.102 हैक्टर रकबा की पानी की बारी मौका बधी हुई है। श्रीमान जी मौका पर उक्त रकबा नहरी काश्त है।

अतः मु.न. 61 पुराना 55 के किला न. 11/2 में 0.101 हैक्टर, 20/2 में 0.101 हैक्टर, 21/2 में 0.102 हैक्टर कुल 0.304 हैक्टर रकबा बारानी से नहरी दर्ज किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई प्रार्थीया ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, वाद पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चक 26 एच के मु. न. 61 में किला न. 11/2 में 0.101 हैक्टर, 20/2 में 0.101 हैक्टर, 21/2 में 0.102 हैक्टर कुल 0.304 हैक्टर बारानी भूमि को राजस्व रिकॉर्ड बारानी से नहरी दर्ज किए जाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के अनुसार प्रार्थी के नाम दर्ज चक 26 एच के मु.न. 61 के किला न. 11/2 में 0.101 हैक्टर, 20/2 में 0.101 हैक्टर, 21/2 में 0.102 हैक्टर कुल 0.304 हैक्टर बारानी भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में नहरी दर्ज किया जाना उचित है। कोई अन्तरराशि देय नहीं है। पटवारी हलका 26 एच की रिपोर्ट के अनुसार के मु.न. 61 पुराना 55 में 15 बीघा 12 बिस्वा रकबा कमाण्ड है। अध्यक्ष जल उपयोक्ता संगम दलपतसिंहपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त रकबा मु.न. 61 पुराना 55 के किला न. 11/2 में 0.101 हैक्टर, 20/2 में 0.101 हैक्टर, 21/2 में 0.102 हैक्टर रकबा की पानी की बारी मौका बधी हुई है। मौका पर उक्त रकबा नहरी काश्त है। जल उपयोक्ता संगम दलपतसिंहपुर के प्रमाण पत्र दिनांक 05. 11.2019 के अनुसार पानी की पर्ची अवतार सिंह,सुखविन्द्र सिंह पिसरान चडत सिंह का रकबा 2 बीघा की बारी की पानी की पर्ची बांधी गई है प्रार्थीयान के नहरी विभाग अनुसार मु.न. 55 में किला न. 1 में 8 बिस्वा व 10 में 8 बिस्वा, 11 में 8 बिस्वा 20 में 8 बिस्वा व 21 में 8 बिस्वा कुल रकबा 2 बीघा है। वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली में साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 26 एच के मु.न. 61 के किला न. 11/2 में 0.101 हैक्टर, 20/2 में 0.101 हैक्टर, 21/2 में 0.102 हैक्टर कुल 0.304 हैक्टर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में बारानी से नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आश्य का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो व पंजाब नैशनल बैक शाखा धनूर को सूचनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2019.12.18 14:47:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: